



# नगर विकास एवं आवास विभाग

अल्पकालीन आवश्यक विज्ञप्ति - 114/2023

## नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन उच्च वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक का संविदा आधारित नियोजन की सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन उच्च वर्गीय लिपिक के 25 रिक्त पदों के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय Email-recruitment.udhdbihar@gmail.com पर दिनांक दिनांक-13.01.2023 से 27.01.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक सहित) आवेदन (Pdf में) आमंत्रित किया जाता है :-

पद का नाम	कोटिवार रिक्तियाँ			अहर्ता	मासिक मानदेय
उच्च वर्गीय लिपिक	आरक्षण कोटि	संख्या	महिला के लिए क्षैतिज आरक्षित पदों की संख्या	उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर सेवानिवृत्त (Retired) उच्च वर्गीय लिपिक का सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत।	सेवानिवृत्त (Retired) उच्च वर्गीय लिपिक को मासिक मानदेय के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
	अनारक्षित	06	04		
	अनुसूचित जाति	02	02		
	पिछड़ा वर्ग	02	01		
	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	03	01		
	अनुसूचित जनजाति	01	00		
	पिछड़े वर्गों की महिला	01	00		
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00		
कुल-	17	08			

2. उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक- 27.01.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक से पूर्व आवेदन समर्पित किया जायेगा, उन सभी अभ्यर्थियों का दिनांक-10.02.2023 के अपराह्न 04:00 बजे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जहाँ उनका प्रत्यक्ष/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

### 3. नियोजन हेतु शर्तें निम्नवत् होंगी :-

3.1 संविदा के आधार पर नियोजन प्रथमतः 2 (दो) वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने (दोनों में जो पहले हो) तक के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक-एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

3.2 आरक्षण कोटि के विरुद्ध आवेदन करने वाले को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.3 सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

3.4 वैसे अभ्यर्थी जिनपर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अधिरोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जाएँगी।

3.5 पी0पी0ओ0 की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि पी0पी0ओ0 उपलब्ध नहीं हो तो प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत पेंशन/उपादान संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति अभ्यर्थी संलग्न कर सकते हैं।

4 विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही Empanelment की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

5 आवेदन करने हेतु विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/urban> के Notice Board पर उपलब्ध है।

6 विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/urban> देखा जा सकता है।

सरकार के अवर सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।